रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

Central Secretariat Library
3 0 JUL 1974

सं० 159] नई दिल्ली, शनिवार जून 29, 1974/आषाढ़ 8, 1896

No. 159] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 29, 1974/ASADHA 8, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

RESOLUTION

New Delhi, the 29th June 1974

SUBJECT.—*Committee of Review of Rehabilitation Work in West Bengal—Abolition of.*

No. 1(3)/73-COR.—The Government of India have decided to abolish with effect from the 1st July, 1974 the Committee of Review of Rehabilitation Work in West Bengal set up, *vide* the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) Resolution No. 5(21)/66-RE, dated the 6th January, 1967.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to:—

1. The Members of the Committee.
2. The Ministries/Departments of the Government of India.
3. The Planning Commission, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat and the Private and the Ministry Secretaries to the President.
4. The Chief Secretaries to the State Governments/Union Territories.

Ordered also that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. VOHRA, Secy.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 29 जून, 1974

विषय.——पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा समिति का समापन ।

संख्या 1(3)/73–स० स०.—भारत सरकार ने भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) के संकल्प संख्या 5(21)/66–आई० ई० दिनांक 6 जनवरी, 1967 द्वारा पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य के लिए स्थापित समीक्षा समिति को 1 जुलाई, 1974 से समाप्त करने का निश्चय किया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियां निम्नलिखित को भेज दी जायं :—

1. समिति के सभी सदस्य ।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
3. योजना आयोग, प्रधान मंत्री सचिवालय, मन्त्रिमंडल सचिवालय तथा राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिव ।
4. राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति को सर्व साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाय ।

सहदेव वोहरा, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974